आज़ादी का अमृत महोत्सव

साप्ताहिक सूचना पत्र

(दिनांक 3.07.2023 से 09.07.2023)

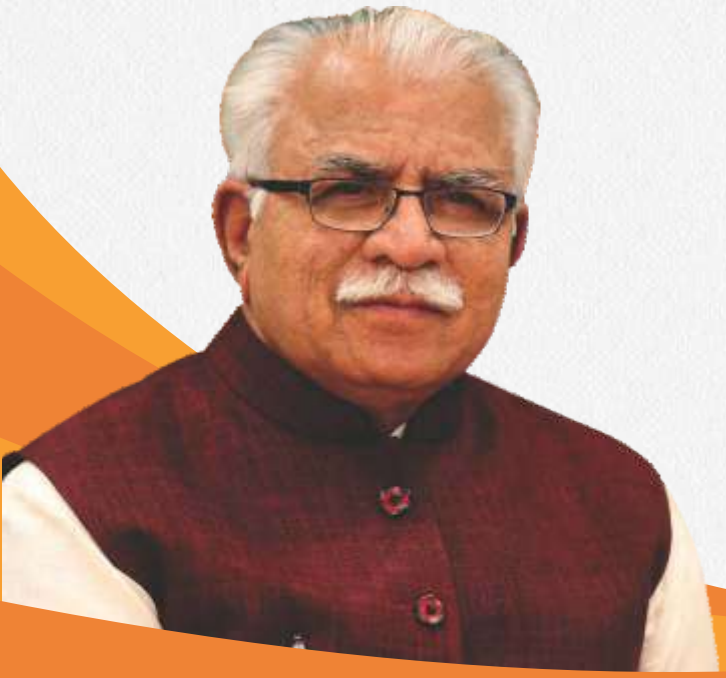

भारतीय जनता पार्टी
हरियाणा

साप्ताहिक सूचना पत्र

जल आपूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड की 56वीं बैठक की अध्यक्षता

(दिनांक 03.07.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज जल आपूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड की 56वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुये राज्य के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति बढ़ाने के उद्देश्य से 834.10 करोड़ रुपये की लागत की 795 नई पेयजल आपूर्ति योजनाओं को मंजूरी दी गई।

इसमें 104.27 करोड़ रुपये की लागत की 134 नई शहरी जल आपूर्ति और सीवरेज योजनाएं भी शामिल हैं। बैठक में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के फ्लैगशिप कार्यक्रमों में तेजी लाने के लिए चालू वित्त वर्ष के लिए पहले से मंजूर 286 कार्यों हेतु 801.48 करोड़ रुपये की राशि की भी स्वीकृति प्रदान की गई।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जलभराव वाले इलाकों की पहचान करने के

साप्ताहिक सूचना पत्र

निर्देश दिए, जहां हर बरसात के मौसम में जलभराव होता है, ताकि इस समस्या से निजात दिलाने के लिए सक्रिय उपाय किए जा सकें।

उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों का एक कोर ग्रुप गठित करने के भी निर्देश दिए, जो अलग–अलग क्षेत्रों के अनुसार जलभराव की समस्या के समाधान पर विचार–विमर्श करेगा। यह कोर ग्रुप जलभराव वाली भूमि का मत्स्य पालन, तालाबों और जल निकायों के निर्माण, सिंचाई आदि में प्रभावी उपयोग के लिए योजना तैयार करेगा। बैठक में बताया गया कि आठ महाग्राम गांवों में जल आपूर्ति और सीवरेज प्रणाली का काम पहले ही पूरा हो चुका है। वर्तमान में, 29 महाग्रामों में काम प्रगति पर है और इनमें से 10 गांवों में दिसंबर 2023 तक कार्य पूरा हो जाएगा। बाकी गांवों के लिए भी कार्य की गति बढ़ाई जाएगी।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग तथा विकास एवं पंचायत विभाग के फील्ड अधिकारियों को जलापूर्ति और सीवरेज पाइपलाइन बिछाने के दौरान क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मरम्मत और बहाली के

साप्ताहिक सूचना पत्र

लिए प्राथमिकता आधार पर समन्वय से काम करने के निर्देश दिए गए।

माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया गया कि सभी संबंधित विभागों द्वारा प्रदेश में स्थापित एसटीपी की स्थिति देखने के लिए जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की वेबसाइट पर एक डैशबोर्ड विकसित किया गया है। इसके अलावा, उपचारित अपशिष्ट जल के उपयोग की निगरानी भी हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए पोर्टल के माध्यम से की जा रही है। इसी प्रकार, विभाग की वेबसाइट पर एक और डैशबोर्ड विकसित किया गया है जो हरियाणा की प्रत्येक ग्रामीण बस्ती के लिए प्रति व्यक्ति प्रति दिन लीटर (एलपीसीडी) आवंटित पानी की स्थिति को दर्शाता है।

बैठक में बताया गया कि राज्य में शहरी जल आपूर्ति और सीवरेज योजनाओं के संचालन व रखरखाव हेतु राजस्व संग्रह बढ़ाने के लिए उपभोक्ताओं को जल आपूर्ति और सीवरेज के बिल मोबाइल फोन पर एसएमएस के माध्यम से भेजे जा रहे हैं। इसके अलावा, उपभोक्ताओं को विभिन्न मापदंडों और कैशलेस विकल्पों के माध्यम से भी बिल भुगतान का विकल्प दिया गया है।

साप्ताहिक सूचना पत्र

मंत्रिमंडल की बैठक

(दिनांक 04.07.2023)

प्रभाव : माननीयमुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हुई। बैठक में बहुत से महत्वपूर्ण मसौदों/निर्णय को स्वीकृति प्रदान की गई। जो कि निम्नप्रकार से हैं–

मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के प्रारूप को मंजूरी प्रदान

माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में आज यहां हुई हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में तीन राज्य पुलिस पुरस्कारों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के प्रारूप को मंजूरी प्रदान की गई। इससे पहले, मंत्रिमंडल ने हरियाणा पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट अन्वेषण, वीरता और प्रशासनिक कर्तव्यों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए तीन राज्य पुलिस पुरस्कारों नामतरू मुख्यमंत्री वीरता पदक, गृह मंत्री उत्कृष्ट अन्वेषण पदक और डीजीपी उत्तम सेवा पदक को

मंजूरी दी थी।

सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति (वार्ड परिसीमन तथा निर्वाचन) नियम, 2023 को मंजूरी प्रदान

हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के कार्यों के प्रबंधन और निगरानी के लिए गठित एडहॉक कमेटी का कार्यकाल 18 महीने बाद समाप्त होने जा रहा है, इसलिए हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के सदस्यों के निर्वाचन के लिए हरियाणा में गुरुद्वारों का चुनाव कराना आवश्यक है और इसी उद्देश्य के लिए, उपरोक्त नियमों को अधिनियमित किया गया है। राज्य में सिख गुरुद्वारों और गुरुद्वारा संपत्तियों के बेहतर स्वतंत्र प्रबंधन और प्रभावी पर्यवेक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से हरियाणा राज्य द्वारा 14 जुलाई, 2014 को अधिसूचना के माध्यम से हरियाणा सिख गुरुद्वारा (प्रबंधन) अधिनियम, 2014 (अधिनियम की संक्षिप्तता के लिए) अधिनियमित किया गया था।

हरियाणा लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग एंड रिटेल पॉलिसी 2019 में संशोधन को मंजूरी

हरियाणा लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग और रिटेल पॉलिसी 2019 और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट पॉलिसी में आईसीडी/वेयरहाउस/कोल्ड स्टोरेज/लॉजिस्टिक्स पार्क आदि की स्थापना के लिए उल्लिखित विभिन्न पात्रता शर्तों के कारण संशोधन की आवश्यकता है। इसके अलावा, वेयरहाउस/आईसीडी/कोल्ड स्टोरेज की स्थापना के लिए आवश्यक भूमि का न्यूनतम क्षेत्र और न्यूनतम पहुंच मार्ग का क्षेत्र भी दोनों नीतियों में अलग–अलग थे।

इनलैंड कंटेनर डिपो (आईसीडी) अब न्यूनतम 20 से 25 एकड़ क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा, आवश्यक न्यूनतम पहुंच सडक़ 50 फीट होगी जो कि पहले 2 एकड़ और 30 फीट की पहुंच सडक़ की शर्त थी। क संशोधन के बाद 25 एकड़ से अधिक क्षेत्र में आईसीडी स्थापित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम पहुंच सडक़ 60 फीट होगा। कोल्ड चेन स्थापित करने के लिए न्यूनतम निवेश

रुपये 15 करोड़ और न्यूनतम क्षेत्र की आवश्यकता 0.5 एकड़ होगी और न्यूनतम पहुंच सडक़ 33 फीट होगी। आगे यह निर्णय लिया गया कि संशोधन के बाद मौजूदा ष्हरियाणा लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग एंड रिटेल पॉलिसी 2019ष् से रिटेल हब की श्रेणी को हटा दिया जाएगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में पानी के शुल्क के संग्रह व अन्य संबंधित सेवाओं के लिए स्वयं सहायता समूहों को जोडऩे के लिए एक नई योजना को दी मंजूरी

स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की महिलाओं को अधिक सशक्त व आर्थिक रूप से और स्थिर बनाने की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ाते हुए जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत ग्रामीण जल आपूर्ति योजना में सेवा प्रदाताओं के रूप में स्वयं सहायता समूहों को शामिल करने के लिए एक नई योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। इस योजना का उद्देश्य एसएचजी सदस्यों को अतिरिक्त आजीविका के अवसर प्रदान करने के साथ ही ग्राम पंचायत को राजस्व बढ़ाने का अवसर देना है।

इस योजना के तहत, पानी के शुल्क की बिलिंग ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों (वीडब्ल्यूएससी–जीपी) द्वारा किए जाने का प्रस्ताव है, जो बिलिंग इन्फोरमेशन सिस्टम फॉर वॉटर एंड सीवर (बिसवास) पोर्टल पर ऑनलाइन बिल भेजने के लिए स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) की महिला सदस्यों को जोड़ेगी।

पानी के बिलों के वितरण और शुल्क का संग्रहण एसएचजी सदस्यों द्वारा समय–समय पर राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एसआरएलएम) के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना के आय मानदंडों में बदलाव और 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले लाभार्थियों को वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना में संशोधन को मंजूरी प्रदान

हरियाणा विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन योजनाष् के तहत लाभार्थी महिला को उसकी मृत्यु की तारीख तक लाभ मिलता है। नए संशोधनों के अनुसार, 60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद महिलाओं को पात्रता के अधीन वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना के तहत लाभ मिलेगा। पेंशन के लिए, अपेक्षित शर्तों के अनुसार, 18 वर्ष की आयु से अधिक, हरियाणा का डोमिसाइल, आवेदन जमा करवाने के समय पिछले 15 वर्षों से राज्य में रहना और सभी स्रोतों से आय 3 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम होनी चाहिए। विधवा पेंशन 60 वर्ष की आयु तक स्वीकृत की जाएगी और उसके बाद, विधवा पेंशन को पात्रता के अधीन वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना में परिवर्तित कर दिया जाएगा और लाभार्थी जीवन भर भत्ता प्राप्त करता रहेगा। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि पेंशन गलत आधार पर या गलत जानकारी पर स्वीकृत की गई थी या जिस शर्त पर पेंशन दी गई थी, वह अब मौजूद नहीं है, तो जिला समाज कल्याण अधिकारी को पेंशन का भुगतान रोकने का अधिकार होगा।

हरियाणा उत्कृष्ट खिलाडियों (समूह ए, बी और सी) सेवा नियम, 2021 में संशोधन के संबंध में स्वीकृति प्रदान

नए संशोधनों के अनुसार, अब 'स्पोर्ट्स इवेंट्स' का अर्थ खेलों की सभी प्रतियोगिताएं हैं, जो भार वर्ग तक सीमित नहीं होंगी। पहले विभाग की किसी भी नीति/नियम में 'इवेंट' की परिभाषा स्पष्ट नहीं थी। यह संशोधन 'स्पोर्ट्स इवेंट्स' की परिभाषा को स्पष्ट करके उन खिलाडियों को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया है जिनकी प्रतियोगिताएं ओलंपिक/राष्ट्रमंडल/एशियाई खेलों में नहीं खेली जाती हैं लेकिन राष्ट्रीय खेलों/राष्ट्रीय चौंपियन शिप में भी नहीं खेली जाती हैं। ऐसे खिलाड़ी अब खेल में उत्कृष्ट उपलब्धियों के आधार पर सरकारी नौकरियों में नियुक्ति के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे।

हरियाणा पंचायती राज नियम 1995

साप्ताहिक सूचना पत्र

में संशोधन को मंजूरी

अब से इन नियमों को हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) नियम 2023 के रूप में जाना जाएगा। इस नए नियम के अनुसार ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद हरियाणा पंचायती राज अधिनियम के तहत सौंपे गए कार्यों और दायित्वों के लिए अपने फंड का उपयोग करने के लिए अधिकृत होंगी। हालांकि, यह अनिवार्य है कि राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद को प्रदान की गई किसी भी तरह की ग्रांट–इन–ऐड का उपयोग विशेष रूप से राज्य सरकार द्वारा सौंपे गए विशिष्ट उद्देश्यों के लिए किया जायेगा। संशोधन के अनुसार, राज्य सरकार के पास ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद को विशिष्ट कार्यों, कर्तव्यों को पूरा करने या अपने संबंधित धन का उपयोग करके विकास कार्यों को क्रियान्वित करने का निर्देश देने का अधिकार है।

यह निर्देश केवल तभी जारी किया जा सकता है जब सौंपे गए विकास कार्य का अनुरोध संबंधित ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद के किसी निवासी द्वारा किया गया हो और राज्य सरकार द्वारा इसे सार्वजनिक हित में माना गया हो।

साप्ताहिक सूचना पत्र

अरावली सफारी पार्क के संबंध में दिल्ली में समीक्षा बैठक

(दिनांक 05.07.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहां नई दिल्ली में अरावली सफारी पार्क के संबंध में समीक्षा बैठक करने के उपरांत मीडिया से बातचीत कर कहा कि राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क विकसित किया जाएगा। इसके बनने के बाद एक ओर जहां अरावली पर्वत श्रृंखला को संरक्षित करने में मदद मिलेगी वहीं दूसरी ओर गुरुग्राम व नूंह क्षेत्रों में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को 7 दिन के अंदर–अंदर सभी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम और नूंह जिलों में अरावली क्षेत्र में 10,000 एकड़ भूमि को जंगल सफारी पार्क के लिए चिह्नित किया गया है। आज की बैठक में कई विषयों को लेकर विचार–विमर्श किया गया है। जंगल सफारी पार्क को तीन चरणों में विकसित किया जाएगा और पहले चरण को पूरा करने के लिए लगभग 2 साल का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस जंगल सफारी में सभी प्रकार के

साप्ताहिक सूचना पत्र

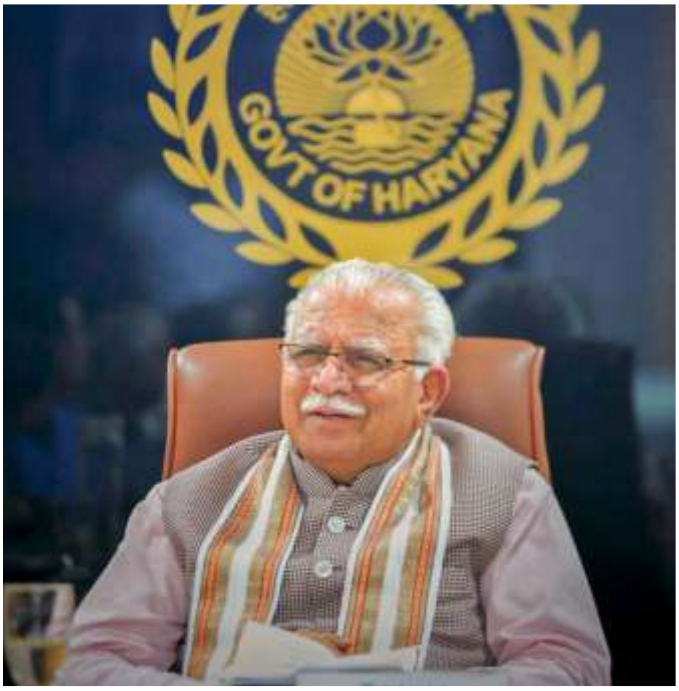

जानवर तथा पक्षियों की प्रजातियाँ जंगल सफारी में लाने का प्रयास है। वन्यजीवों की स्वदेशी प्रजातियों के अलावा हमारी जलवायु में रह सकने वाले विदेशों से लाए जा सकने वाले जानवरों पर भी अध्ययन किया जा रहा है। सुल्तानपुर झील की तरह माइग्रेटिड बर्ड के लिए झील की व्यवस्था हो, इस पर भी चर्चा की गई है। इस प्रकार के जंगल सफारी पार्क विलुप्त होती प्रजातियों को संरक्षित कर बचाने का भी केंद्र होते हैं। हमारा भी यह प्रयास है कि ऐसी प्रजातियों को सफारी पार्क में संरक्षित रखा जाए।

उन्होंने कहा कि राखीगढ़ी में म्यूजियम बनाने को लेकर भी आज बैठक की गई, जिसमें राखीगढ़ी की पुरानी सभ्यता को सुरक्षित रखना व उस स्थल को विकसित करने इत्यादि विषयों को लेकर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के साथ मिलकर हरियाणा सरकार काम कर रही है।

उन्होंने कहा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने साइट संग्रहालय और राखीगढ़ी गांव के भीतर पर्यटन के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए योजना का प्रस्ताव तैयार किया है, जो लगभग फाइनल हो चुका है। बैठक में विभिन्न विषयों की टाइमलाइन तय की गई है।

पीएमसी नियुक्त करने के लिए 15 जुलाई तक टेंडर होगा और 15 अगस्त तक अंतिम रूप दे दिया जाएगा। दिसंबर माह तक तक संग्रहालय की शुरुआत हो सके, इसके लिए सभी संबंधित विभागों को तेजी गति से कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं।

गुरुग्राम में स्टार्टअप 20 शिखर कार्यक्रम के समारोह में शिरकत करना

(दिनांक 05.07.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी तथा माननीय राज्यपाल मंगलवार की देर शाम गुरुग्राम में स्टार्टअप 20 शिखर बैठक के समापन समारोह में शामिल हुए और गणमान्य अतिथियों, विदेशी प्रतिनिधियों एवं स्टार्टप उद्यमियों को उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी।

केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य राज्य मंत्री श्री सोम प्रकाश ने गुरुग्राम में स्टार्टअप 20 शिखर बैठक को लेकर बेहतर प्रबंधों व आयोजन में पूर्ण सहयोग के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी व उनकी टीम का आभार जताया।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हरियाणा को महत्वपूर्ण स्टार्टअप 20 शिखर बैठक की मेजबानी मिलना गौरव की बात है। गुरुग्राम में जी–20 के एजेंडे में शामिल स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन स्टार्टअप के पारिस्थितिकी तंत्र को सशक्त करेगा तथा अभिनव

उत्पादों और सेवाओं को बढ़ावा देगा, जो कि भविष्य के लिए एक उत्तम संकेत है। उन्होंने समापन समारोह में हरियाणा की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत पर आधारित संगीतमयी प्रस्तुतियों को भी विदेशी मेहमानों के साथ देखा और बैठक में शामिल हुए मेहमानों के साथ रात्रिभोज भी किया। उल्लेखनीय है कि गुरुग्राम के होटल ग्रैंड हयात तथा ओरोना कन्वेंशन सेंटर में 3–4 जुलाई स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ।

साप्ताहिक सूचना पत्र

सीएम विंडो पर आई शिकायत पर सख्त एक्शन

(दिनांक 05.07.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आज सीएम विंडो पर निर्धारित मात्रा से कम राशन जारी करने की एक शिकायत पर कार्रवाई करने के मामले में जानबूझकर देरी करने पर सहायक खाद्य एवं पूर्ति अधिकारी, सिरसा संदीप कुमार को तुरंत प्रभाव से निलंबित किया है।

साथ ही इस सम्बंध में उनके विरुद्ध नियम –7 के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाने के भी निर्देश दिए हैं। इसके अलावा, उन्होंने यह भी निर्देश दिए हैं कि खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के आयुक्त एवं सचिव इस मामले में की गई कार्यवाही रिपोर्ट 20 जुलाई 2023 तक भिजवाना सुनिश्चित करें।

इसके साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने सी.एम. विंडो पर अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर निर्धारित एरिया से ज्यादा में बने मकानों के ऑक्यूपेशन

सर्टिफिकेट जारी किए जाने की एक शिकायत पर सख्त संज्ञान लेते हुए तत्कालीन जिला नगर योजनाकार, रोहतक को तुरंत प्रभाव से निलंबित किया है। इसके अलावा, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को संबंधित मामले में की गई कार्यवाही रिपोर्ट 20 जुलाई, 2023 तक भिजवाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

सम्पत्ति के इंतकाल की प्रक्रिया को ऑनलाइन माध्यम से जोड़ना

(दिनांक 06.07.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी अपने ई–गवर्नेंस की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए संपत्ति के इंतकाल की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने वेब हैलरिस में म्यूटेशन का स्वचालित जेनरेशन मॉड्यूल का शुभारंभ किया।

उन्होंने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि इस पोर्टल के लॉन्च होने से अब किसी भी संपत्ति/जमीन का इंतकाल (म्यूटेशन) रजिस्ट्री के तुरंत बाद हो सकेगा। इसके साथ ही म्यूटेशन की जानकारी भी पोर्टल पर उपलब्ध हो जाएगी, जिसे कोई भी चेक कर सकता है। म्यूटेशन पर कोई भी आपत्ति दर्ज कराने के लिए 10 दिनों की समयावधि दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर कोई 10 दिनों के भीतर आपत्ति दर्ज करवाता है तो म्यूटेशन को विवादित माना जाएगा और इंतकाल

नहीं होगा। यदि कोई आपत्ति नहीं आई तो स्वतरू इंतकाल (म्यूटेशन) हो जाएगा। उन्होंने कहा कि फिलहाल किसी भी जमीन या संपत्ति की बिक्री, मॉर्टगेज विद पोजेशन, पारिवारिक हस्तांतरण और उपहार का म्यूटेशन किया जाएगा।

वर्ष 2019 में इंतकाल (म्यूटेशन) की प्रक्रिया को डिजिटल बनाना हमारे घोषणा पत्र की प्रमुख घोषणाओं में से

एक थी। पूरे सिस्टम पर गहन अध्ययन करने के बाद आज यह पोर्टल लॉन्च किया गया है। सरकार विवादास्पद म्यूटेशन के मुद्दे को भी हल करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई मुकदमा न हो। एक और महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि अब तहसीलदारों के अलावा एसडीएम और डीआरओ को भी अपनी तहसीलों में संपत्ति के पंजीकरण के लिए अधिकृत किया गया है। जल्द ही हम एक नई प्रणाली शुरू करेंगे जिसके तहत संपत्ति की रजिस्ट्री किसी भी जिले में कहीं भी की जा सकेगी।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक ओर घोषणा करते हुए कहा कि 45 से 60 वर्ष की आयु के अविवाहित पुरुषों और महिलाओं को 2750 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। पेंशन का लाभ उन लोगों को दिया जाएगा, जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम है। इस योजना के तहत, दूसरी श्रेणी में 40–60 वर्ष की आयु के विधुर को भी शामिल किया गया है, जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपये से कम होगी, ऐसे सभी लोगों को भी 2750 रुपये की पेंशन का लाभ मिलेगा। उन्होंने अनियमित कॉलोनियों के संबंध में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए बताया कि शहरी स्थानीय निकाय और नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग द्वारा राज्यभर में अनियमित कॉलोनियों को नियमित करने के लिए एक व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए कानूनों और नीतियों में भी संशोधन की आवश्यकता है। अभी तक लगभग 2000 अनियमित कॉलोनियों की सूची हमारे पास है, जिन्हें नियमित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सरकार ने एससी समुदाय के लोगों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लेने का फैसला किया है। साल 2017 में एक आंदोलन हुआ था, जिसमें 54 मामले दर्ज किये गये थे। लगभग 117 लोगों को गिरफ्तार किया गया और कई लोगों को नामजद किया गया। हमने फैसला किया है कि ये सभी मामले वापस ले लिए जाएंगे, बशर्ते अपराध जघन्य न हो।

साप्ताहिक सूचना पत्र

गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र के प्रबुद्ध व्यक्तियों के साथ विशेष बैठक

(दिनांक 06.07.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र के जनप्रतिनिधि एवं प्रबुद्ध व्यक्तियों और विभिन्न विभागों के प्रशासनिक सचिवों के साथ एक विशेष बैठक की अध्यक्षता कर कहा कि किसी भी प्रकार के विकास कार्यों व कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने को लेकर सम्बंधित विभाग की जवाबदेही होगी।

अगर किसी भी कार्य में कोई भी समस्या आती है तो उसका तुरंत समाधान किया जाए। उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्रों के जनप्रतिनिधि एवं प्रबुद्ध व्यक्ति भी अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य को प्रगति पर लाने में सहयोग करें।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार समाज हित में निरंतर काम कर रही है। सरकार का ध्येय पारदर्शिता के साथ नागरिकों के लिए बनाई गई हर योजना का लाभ धरातल तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक जनता के काम हो और साथ ही उनकी जो समस्याएं है उनको भी दूर किया जाए। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने जनता की भलाई के लिए अनेक योजनाएं चलाई हुई है।

आज के तकनीकी दौर में योजनाओं का लाभ लाभार्थियों को उनके घर पर ही मिल रहा है। हम जनता के हित के लिए नई तकनीक से कार्य कर रहे है। उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी आईडी में लोगों को आ रही समस्याओं को देखते हुए हर सप्ताह कैंप लगाये जायेंगे जहां पर प्रॉपर्टी आईडी से संबंधित समस्याओं को दूर किया जाएगा।

उन्होंने अधिकारियों को कहा कि इस विषय पर तेजी से कार्य किया जाए अगर कहीं पर भी स्टाफ की कमी है तो वहां पर अधिक स्टाफ लगाया जाए।

साप्ताहिक सूचना पत्र

हरियाणा उदय आउटरीच कार्यक्रम की समीक्षा बैठक

(दिनांक 06.07.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिला उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों के साथ हरियाणा उदय आउटरीच कार्यक्रम की समीक्षा बैठक कर कहा कि राज्य में सामुदायिक संबंधों को मजबूत करने और जिला प्रशासन व कानून एजेंसियों व जनता के बीच बेहतर संबंधों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया हरियाणा उदय कार्यक्रम राज्य सरकार की एक अभिनव पहल है। उदय कार्यक्रमों में जनता की भागीदारी बहुत अहम है, इसलिए जिला प्रशासन द्वारा कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम के तहत हर माह किसी एक गांव में जनसंवाद कार्यक्रम, प्रत्येक सप्ताह ग्राम सभा व ग्राम उत्सव कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए और इन कार्यक्रमों

में अधिकारी अधिक से अधिक जनभागिता सुनिश्चित करें।

अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि आज नशे की समस्या समाज के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है और हरियाणा सरकार ने संकल्प लिया है कि प्रदेश को नशा मुक्त बनाना है। इस अभियान में पुलिस विभाग आउटरीच कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को नशा मुक्ति के प्रति जागरूक करें।

ऐसे कार्यक्रमों में लोगों को बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ, पर्यावरण संरक्षण और जल संरक्षण जैसे विषयों के प्रति भी जागरूक करें। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि जिला प्रशासन के अधिकारी हरियाणा उदय आउटरीच कार्यक्रम के तहत जिला में आयोजित की जाने वाली गतिविधियों की विस्तृत रूपरेखा तैयार करें और इसमें लोगों की भागीदारी बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाए।

उन्होंने कहा कि हरियाणा उदय आउटरीच कार्यक्रम के तहत करवाई जा रही सभी गतिविधियों को पोर्टल पर भी अपलोड किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

उन्होंने निर्देश दिए कि स्कूलों को भी हरियाणा उदय आउटरीच कार्यक्रम के साथ जोड़ा जाए। इसके लिए विद्यालय स्तर पर कलात्मक व रचनात्मक काव्य पाठ व अन्य शैक्षणिक गतिविधियों का आयोजन किया जा सकता है। इसके साथ ही, खेल विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर बच्चों के लिए विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं भी आयोजित करवाई जाएं।

हाई पावर वर्क्स परचेज कमेटी (एचपीडब्ल्यूपीसी) की बैठक की अध्यक्षता

(दिनांक 07.07.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में गत सायं हुई हाई पावर वर्कर्स परचेज कमेटी (एचपीडब्ल्यूपीसी) की बैठक में 203 करोड़ रुपये से अधिक के कॉन्ट्रेक्ट को मंजूरी दी गई। बैठक में विभिन्न बोलीदाताओं से नेगोसिएशन के बाद दरें तय करके 1.68 करोड़ रुपये से अधिक की बचत हुई। बैठक में जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉ. बनवारी लाल भी उपस्थित थे।

बैठक में फरीदाबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (एफएमडीए), हरियाणा पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन (एचपीएचसी), लोक निमार्ण (भवन एंड सड़कें) विभाग और हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (एचएसआईआईडीसी) के कुल सात एजेंडे को मंजूरी दी गई। बैठक के दौरान आवंटित किए गए विभिन्न कार्यों में 45 एमएलडी एसटीपी बादशाहपुर की मरम्मत और उन्नयन, गांव शाजहांपुर,

चांदपुर, दलेलगढ़ व घोरासन के रेवेन्यू एस्टेट के साथ ही यमुना नदी के बाढ़ क्षेत्र, जिला फरीदाबाद में 10 एमएलडी क्षमता के चार रैनीवेल की स्थापना करना, रोहतक में महम–बेरी रोड क्रॉसिंग पर एनएच–709 (एक्सटेंशन) पर वाहन अंडरपास का निर्माण, पुलिस लाइन, जींद में 42 टाइप–II, 36 टाइप–IIi और 6 टाइप–IV (रॉ हाउस ट्रिपल स्टोरी) मकानों का निर्माण तथा पुलिस लाईन सिरसा में 72 टाइप–Ii~ थ्री स्टोरी रॉ हाउस, 12 टाइप–IIi~ और 12 टाइप–IV स्टिल्ट प्लस 6 मकानों का निर्माण शामिल है।

साप्ताहिक सूचना पत्र

प्रगतिशील किसानों के साथ सीधा संवाद

(दिनांक 08.07.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी आज सीएम की विशेष चर्चा कार्यक्रम के तहत ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सब्जी एवं फल उत्पादक प्रगतिशील किसानों के साथ सीधा संवाद कर कहा कि प्रदेश में बागवानी क्षेत्र को बढ़ाने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। सरकार ने वर्ष 2030 तक वर्तमान में कुल फसल क्षेत्र के लगभग 7 प्रतिशत के बागवानी क्षेत्र को 22 लाख एकड़ करने तथा उत्पादन को तीन गुणा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए किसानों को विभिन्न योजनाओं के तहत सब्सिडी प्रदान की जा रही है। वर्ष 2022–23 में बागवानी की विभिन्न स्कीमों के तहत 25 हजार लाभग्राहियों को 166 करोड़ 20 लाख रुपये की सब्सिडी दी गई है। संवाद के दौरान प्रगतिशील किसानों ने माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सही मायने में हरियाणा सरकार किसानों के हित के लिए काम कर रही है। किसानों ने कहा कि राज्य सरकार ने जिस प्रकार की नई नई

योजनाएं हमारे लिए चलाई हैं, उससे कृषि लागत में कमी आने के साथ–साथ उपज को बाजार तक पहुंच भी सुनिश्चित हुई है। भावांतर भरपाई योजना, मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना जैसी अनूठी योजनाएं किसानों के लिए लागू करके सरकार ने किसानों को बहुत बड़ी राहत दी है। संवाद के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी ने रेवाड़ी जिले के प्रगतिशील किसान अजीत सिंह को बैंगन की खेती में अधिक मुनाफा कमाने पर सम्मानित करने के निर्देश दिए हैं।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि खेती और किसान हरियाणा सरकार की नीतियों के केन्द्र बिन्दु हैं। सरकार किसानों को खेती प्रक्रिया में हर कदम पर सहयोग दे रही है। बुवाई से पहले और बुवाई के बाद भी और फसल कटाई के बाद भी, फसलों के तैयार होने से लेकर बाजार में उसकी बिक्री तक यानी बीज से लेकर बाजार तक किसानों को सभी प्रकार की सुविधाएं राज्य सरकार उपलब्ध करवा रही है। उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि किसान जैविक और प्राकृतिक खेती की ओर आगे बढ़ें और रासायनिक उर्वरक व खतरनाक कीटनाशकों का कम से कम उपयोग करें। उन्होंने कहा कि हरियाणा देश का पहला राज्य है, जिसने बागवानी फसलों को प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान की स्थिति में किसानों के हित के लिए मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना बनाई है। उन्होंने कहा कि फलों व सब्जियों की खेती को बढ़ावा देने तथा मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार कई तरह की रियायतें व सुविधाएं दे रही है।

उन्होंने कहा कि बागवानी फसलों को बढ़ावा देने के लिए फसल क्लस्टर विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसके तहत 1763 गांवों में 393 बागवानी फसल समूहों की पहचान की गई है। प्रत्येक क्लस्टर में 300 किसान सदस्यों के साथ एक एफ.पी.ओ का गठन किया जा रहा है। इसके अलावा, प्रत्येक क्लस्टर में आपूर्ति श्रृंखला

बागवानी उपज के विपणन और किसानों को सीधे बाजार से जोड़ने के लिए एक एकीकृत पैक हाउस भी स्थापित किया जा रहा है।

बागवानी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने फूड प्रोसेसिंग नीति बनाई है। इस नीति के तहत कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जा रहा है। ऐसे उद्योगों की स्थापना से किसानों को उनकी पैदावार के और अधिक लाभकारी मूल्य मिलेंगे। उन्होंने कहा कि बागवानी को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने सब्जियों व फलों के लिए भावांतर भरपाई योजना लागू की है। इससे बाजार में फलों व सब्जियों के भावों में गिरावट के समय किसानों को जोखिम से मुक्त किया गया है। इसमें 21 बागवानी फसलों के संरक्षित मूल्य निर्धारित किए गए हैं। इस योजना के तहत अब तक 9,485 किसानों को 23 करोड़ रुपये से अधिक की राशि वितरित की गई है।

बागवानी फसलों की आसानी से बिक्री

व उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश में 1,000 किसान उत्पादक समूह (एफपीओ) बनाए जाने का लक्ष्य है। अब तक 731 किसान उत्पादक समूह बनाए जा चुके हैं। इन समूहों द्वारा 150 इंटीग्रेटेड पेक हाउस बनाए जाएंगे, जिनके माध्यम से किसान अपने फल व सब्जियों को बेचने में सक्षम होंगे। उन्होंने कहा कि आम, अमरूद, बेर, चीकू, लीची, आंवला, नाशपाती, आलू बुखारा, केला, पपीता, सिट्रस फल, अंगूर, अंजीर व स्ट्रॉबेरी के बाग लगाने पर प्रति एकड़ लागत का 50 प्रतिशत से लेकर 85 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाता है।

साप्ताहिक सूचना पत्र

दक्ष महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में प्रदेश भर से आए समाज के अग्रणी लोगों से सीधा संवाद

(दिनांक 09.07.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी आज प्रजापति दक्ष महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में प्रदेश भर से आए समाज के अग्रणी लोगों से सीधा संवाद कर कहा कि हरियाणा सरकार संत समाज की तरह सभी वर्गो को आगे बढाने का कार्य कर रही हैं ताकि अंतिम पायदान पर खड़े समाज के प्रत्येक नागरिक का सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान सम्भव हो सके। इस प्रकार अंत्योदय की भावना से ही अंतिम व्यक्ति तक जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित किया जा सकता है। उन्होंने प्रजापति समाज को पंचकूला में दी गई एक हजार वर्ग गज भूमि के लिए 21 लाख रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने बहुतकनीकि संस्थान हिसार का नामकरण दक्ष प्रजापति करने का भी ऐलान किया। अंत्योदय की भावना को साकार करने के लिए 'हरियाणा एक हरियाणवी एक' का नारा दिया गया।

सरकार उसे चरितार्थ करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। सभी वर्गों के साथ मिलकर राजनीतिक जातिवाद को खत्म कर ही आगे बढना होगा। राज्य में क्रियान्वित पीपीपी महत्वाकांक्षी योजना से 72 लाख परिवारों का डाटा एकत्र किया जा चुका है। इनमें प्रजापति समाज के एक लाख 87 हजार 727 परिवारों के 7 लाख 89 हजार सदस्य हैं। यह बहुत ही खुशी की बात है कि जिस समाज में विद्यार्थियों की संख्या 30 प्रतिशत से अधिक है वह समाज तरक्की की ओर अग्रसर हैं। प्रजापति समाज के 27 हजार 139 बेरोजगार हैं जो कुल आबादी का केवल 3 प्रतिशत है। इसलिए इन्हें निपुण बनाने के लिए कार्य करना है। इसके लिए कैंप एवं स्वरोजगार मेले भी लगाए जाएगें। प्रजापति समाज में निपुणता है। इसलिए समाज ऐसी चीजें बनाए जिन्हें लोग पसंद करें और वे लोगों के काम भी आएं। सरकार द्वारा बेहतर योजना बनाई जा रही है जिसके तहत संस्थाओं को छात्रावास बनाकर दिए जाएगें जिसका खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इनमें सभी वर्ग के विद्यार्थियों से आमदनी के हिसाब से खर्चा लिया जाएगा। इसके अलावा संस्थानों को छात्रावास निर्माण के लिए भी ग्रांट प्रदान की जाएगी।

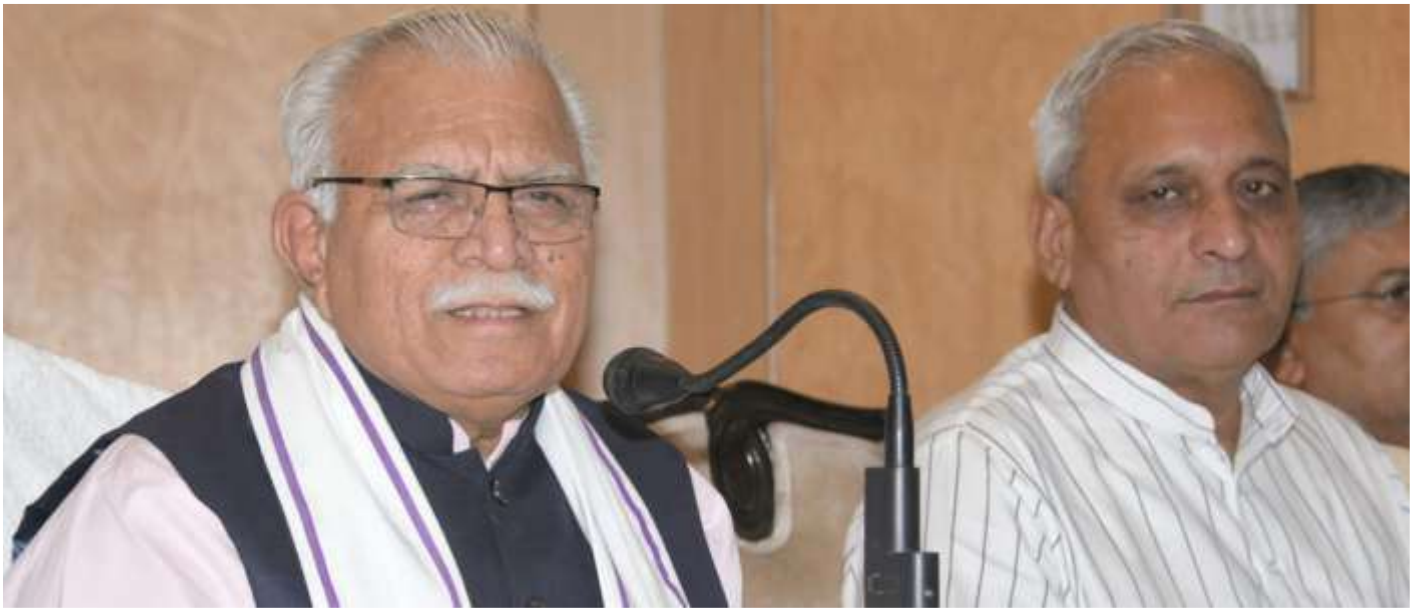

साप्ताहिक सूचना पत्र

कालका विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को सम्बोधित करना

(दिनांक 09.07.2023)

प्रभाव : माननरीय मुख्यमंत्री जी ने आज कालका में कालका विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को सम्बोधित करते हुये कहा कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें एक कार्यकर्ता भी विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री बन सकता है। आज सारी दुनिया भारत की तरफ देख रही है और भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2014 व 2019 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। इसी प्रकार, प्रदेश में भी 2014 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी लेकिन 2019 में कुछ कमी रह गई थी। उन्होने कहा कि 2024 में देश व प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनाने के लिए अभी से कड़ी मेहनत शुरू कर दें। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जो पिछले विधानसभा में कमी रह गई थी इस बार उस कमी को

साप्ताहिक सूचना पत्र

पूरा कर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाऐंगे। उन्होंने कहा कि देश व दुनिया में मोदी का कोई भी विकल्प नहीं है और देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि कालका विधानसभा क्षेत्र में पिछले लगभग साढ़े आठ साल में अढ़ाई हजार करोड़ रुपये के विकास कार्य करवाए जा चुके है। उन्होंने कहा कि टिक्कर ताल को पर्यटन का केंद्र बनाया जा रहा। कालका से लेकर कालेसर तक के क्षेत्र को पर्यटन क्षेत्र में विकसित किया जाएगा जिससे रोजगार के अवसर भी बढेगे। उन्होंने कहा कि आदि बद्री, लोहगढ़, कालेसर के जंगल को भी विकसित किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रदेश में विकास करवाना, लोगों को भय मुक्त करना, भ्रष्टाचार को दूर करने पर कार्य किया है। हमारी सरकार ने भाई–भतीजावाद, क्षेत्रवाद को खत्म कर हरियाणा एक हरियाणवी एक की

भावना से कार्य किया है। उन्होंने कहा कि नौकरियों में गरीब परिवारों के बच्चों को प्राथमिकता दी जा रही है। जिस परिवार से कोई भी सरकारी नौकरी में नही है उसे 5 अंक दिए जा रहे है। उन्होंने कहा कि सरकार ने आनलाइन माध्यम से लोगो को योजनाओं का लाभ सीधा उनके घर पर पहुचाया है पहले जनता को छोटे–छोटे कार्यो के लिए कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते थे लेकिन अब सभी सुविधाओं को ऑनलाइन कर दिया गया है। पीपीपी के माध्यम से आज लोगों के घर बैठे राशन कार्ड, पेंशन बन रही है।